रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 259] नई दिल्ली, सोमवार, मई 22, 1972/ज्येष्ठ 1, 1894

No. 259] NEW DELHI, MONDAY, MAY 22, 1972/JYAISTHA 1, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 22nd May 1972

S.O. 371(E)/15/IDRA/72.—Whereas the Central Government is of the opinion that there has been substantial fall in the volume of production in respect of cotton textiles manufactured in the industrial undertaking known as Adoni Cotton Mills Limited. Adoni (Andhra Pradesh) for which having regard to the economic conditions prevailing there is no justification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

(1) Dr. S. Krishnamurthy, Professor, Alagappa Textile Institute, Guindy, Madras.

Members

(2) Shri P. L. Sivaram, IAS, Director of Handlooms and Textiles, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad.

(3) Shri P. G. Rao, Regional Controller of National Textile Corporation, C/O Minerva Mills Ltd., Magadi Road, Bangalore-23.

(4) Shri R. Aghoramurthy, Assistant Inspecting Officer, Office of the Regional Director, Company Law Board, Shastri Bhawan, 358, Haddows Road, Madras-6.

Member Secretary

(5) Dr. O. S. Krishnamurthy, Deputy Director, Office of the Textile Commissioner, Bombay-20.

[No. F.3(4)/72-CUC.]

K. BALACHANDRAN, Addl. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 मई, 1972

का० आ० 371(अ)/15/आई० डी० आर० ए०/72.—यत: केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अडोनी काटन मिल्स लि०, अडोनी (आंध्र प्रदेश) नामक औद्योगिक उपक्रम में निर्मित सूती वस्त्रों के सम्बन्ध में उत्पादन के परिमाण में भारी गिरावट हुई है, जिसके लिये, विद्यमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, कोई औचित्य नहीं है ।

अत: अब, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65)की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समग्र तथा पूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकाय की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है :—

(1) डा० एस० कृष्णमूर्ति — अध्यक्ष
प्रोफेसर, एलगप्पा वस्त्र संस्थान,
गुइंडे, मद्रास।

(2) श्री पी० एल० शिवराम, भा० प्र० से०, — सदस्य
निदेशक, हथकरघा, तथा वस्त्र,
आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद ।

(3) श्री पी० जी० राव — सदस्य
क्षेत्रीय नियंत्रक, राष्ट्रीय वस्त्र निगम,
द्वारा, मिनर्वा मिल्स लि०,
मागदी रोड, बंगलौर—23

(4) श्री आर० अघोरमूर्ति, — सदस्य
सहायक निरीक्षण अधिकारी, वित्त कम्पनी बोर्ड,
शास्त्री भवन, 356 हैडोस रोड, मद्रास–6

(5) डा० ओ० एस० कृष्णमूर्ति , — सदस्य सचिव
उप निदेशक वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
बम्बई—20

[सं० फा० 3(4)/72—सी०यू०सी०]
के० बालाचन्द्रन, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972